न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
047/2021 (रे.वि.) (GCMS 2021/75)	26.02.2021	20.10.2021

अनवान

सुश्री लीला जाट पुत्री किशनलाल आयु वयस्क निवासी लोठियाणा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नाहरगढ़ तहसील भदेसर चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09, आदेश 09 नियम 13 सहपठित धारा 151 जा0दी0 बाबत् निरस्ती एकतरफा निर्णय दिनांक 15.09.2020

उपस्थिति :– सीएम जणवा — अधिवक्ता प्रार्थी
एमएल दक — अधिवक्ता अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09, आदेश 09 नियम 13 सहपठित धारा 151 जा0दी0 बाबत् निरस्ती एकतरफा निर्णय दिनांक 15.09.2020 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आप न्यायालय में राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट, 1952 के तहत एक आवेदन दिनांक 02.12.2015 को प्रार्थी व एक अन्य वगतपुरी के विरूद्ध वसूली योग्य राशि के संबंध पेश किया जिसमें प्रार्थी के विरूद्ध 12,29,855.56 रुपये वसूली योग्य ठहराये। इसी आशय का आवेदन भी अलग से दिनांक 21.12.2015 को प्रस्तुत होना पत्रावली पर मौजूद है। उक्त आवेदन की प्रति के साथ एक नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (साधारण प्रारूप) प्रार्थी को प्रेषित किया गया परन्तु साथ में कोई अनेक्सचर अथवा 21.12.2015 के आवेदन की प्रति नहीं दी, रिक्विजिशन अन्तर्गत धारा 3 व सर्टिफिकेट फार्म–2 की प्रतियां नहीं दी गई। दिनांक 22.03.2016 को प्रार्थी ने उपस्थिति दी और उसी दिन प्रथम उपस्थिति के समय इस कार्यवाही की पोषणीयता व वैद्यता को चुनौती देते हुए एक आपत्ति प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिस

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

पर जवाब व बहस के लिए विपक्षी द्वारा समय लिया जाता रहा परन्तु इसी दौरान दिनांक 08.11.2016 को प्रार्थी के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए, दिनांक 28.03.2018 को एकतरफा कार्यवाही निरस्ती हेतु आवेदन प्रस्तुत हुआ जो उसी दिन स्वीकार किया, तत्पश्चात् दस्तावेजों को रेकार्ड पर लिया, दिनांक 17.07.2018 को प्रार्थी के अधिवक्ता के अनुपस्थिति दर्शायी एवं साथ ही न्यायहित में अंतिम अवसर देते हुए कथित तौर से गुणावगुण पर बहस सुनना भी अंकित कर पोषणीयता पर आरंभिक आपत्तियों को बिना विस्तृत आदेश के सारहीन होने से खारीज करते हुए मुख्य बहस हेतु पत्रावली नियत कर दी। दिनांक 15.10.2019 को पुनः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये व अन्त में दिनांक 15.09.2020 को आलोच्य निर्णय पारित करते हुए प्रार्थी के विरूद्ध वसूली प्रमाण–पत्र जारी किया है। उक्त निर्णय एकतरफा हुआ है परन्तु वास्तव में प्रार्थी जो एक महिला होकर दूरस्थ गांव की निवासी है, उसने अभिषेक गर्ग अधिवक्ता को पैरवी हेतु नियुक्त किया था, लगातार उनसे न सिर्फ प्रार्थी बल्कि उसके उदयपुर के सलाहकार अरूण व्यास भी सम्पर्क में रहे है, फोन पर वे कार्यवाही में लगातार उपस्थित होने को आश्वस्त करते रहे है, कभी न तो प्रारम्भिक आपत्तियां निरस्त होने की सूचना दी, न दूसरी बार एकतरफा कार्यवाही होने की कोई सूचना दी, न अंतिम विनिश्चय हो जाने उपरांत सूचित किया, जिससे वह भरोसे रही, उल्टे प्रार्थी को वसूली कार्यवाही के संबंध में तहसील में पत्र आने पर लोगों द्वारा जानकारी मिलने पर दिनांक 09.11.2020 को उक्त अधिवक्ता को पूछा जिन्होंने कार्यवाही जारी होना, मार्च माह तक उपस्थित होना, तत्पश्चात कोरोना महामारी के कारण सुनवाई ही न होना बताया, जब प्रार्थी ने निर्णय उपरांत प्रमाण–पत्र भी जारी हो जाना कहा तो पता कर बताना व फिर दिनांक 05.01.2021 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो 25.01.2021 को प्राप्त होने पर सूचना मिलते ही प्रार्थी ने जाकर उनसे नकलें ली अध्ययन करने पर उनकी घोर लापरवाही प्रकट हुई। यह न्याय का बुनियादी सिद्धान्त है कि अधिवक्ता की लापरवाही या अक्षमता का खामियाजा पक्षकार को नहीं भुगताया जाये बल्कि उसे सम्पूर्ण न्याय दिया जाये, ऐसी स्थिति में उक्त एक तरफा निर्णय अपास्त योग्य है। प्रार्थी जानबूझ कर अनुपस्थित नहीं रही है बल्कि उक्त परिस्थियों में वह वंचित की गई है, जो नियंत्रण से बाहर की है, ऐसे में एकतरफा कार्यवाही का आदेश दिनांक 15.10.2019 एवं एकतरफा निर्णय दिनांक 15.09.2020 अपास्त फरमा कार्यवाही दोतरफा कराना न्यायोचित है। प्रार्थी ने उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील वेश की है, जो निर्णय की वैद्यता के आधार पर चुनौती देते हुए है, परन्तु एकतरफा कार्यवाही के संबंध मे प्रार्थी को आदेश 9 नियम 13 जा.दी. के तहत

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

अलग से आवेदन के अधिकार प्राप्त होने से यह प्रार्थनापत्र पेश है। वास्तत में प्रकरण ने पारित अंतिम आदेश कानूनन अंतिम आदेश की परिभाषा में ही नहीं आता है, तो उस आधार पर जारी वसूली आदेश पूर्णतया अवैध है। उक्त अधिनियम के तहत प्रावधित नोटिस जारी नहीं न हुआ है, पूर्व में जो सामान्य प्रारूप जाहिर करने वजह का नोटिस दिया गया था, उक्त अधिनियम के तहत तो सर्वप्रथम धारा 3 की रिक्वीजीशन यदि हर तरह से पूर्ण, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत हो, तो माननीय जिला कलक्टर इस आशय की अपनी संतुष्टि उपरांत कि मामला इस अधिनियम की परिधि में वसूली योग्य राशि बाबत विपक्षी इस अधिनियम में प्रदत्त श्रेणी में आता हो एवं राशि मयाद बाहर न हो, तब धारा 4 के तहत प्रमाणपत्र जारी कर उसकी प्रति के साथ धारा 6 में प्रावधित एवं नियम तथा परिशिष्ठ में प्रदत्त प्रारूप में विपक्षी को नोटिस प्रदान किया जाता है, उसके बाद ही विपक्षी को अपनी आपत्तियों को पेश करने हेतु आमंत्रित करना होता है। उक्त प्रावधानों के अनुसार तो प्रश्नगत एकतरफा कार्यवाही अभी आरंभिक अवस्था में है, पूर्व के दिये गये नोटिस बिना विधिक प्रावधान के होने से उस आधार पर की गई अग्रिम कार्यवाही ही विधिविरूद्ध है, तो प्रार्थी को एकतरफा कार्यवाही के आधार पर दण्डित नहीं किया जा सकता है। वास्तविक रूप से प्रार्थी को आप न्यायालय द्वारा जारी धारा 4 के प्रमाण-पत्र के साथ जारी धारा 6 के नोटिस उपरांत ही उपस्थिति का अधिकार है, ऐसे में उसके पूर्व हुई प्रिमेच्योर कार्यवाही में पारित एकतरफा आदेश एवं निर्णय ही विधिसम्मत न हो प्रकरण पुनः नम्बर पर ले दो-तरफा सुनवाई हेतु नियत करना न्यायोचित है। वास्तविक रूप से प्रार्थी को धारा 4 की कार्यवाही उपरांत धारा 6 के नोटिस प्राप्त होने उपरांत ही उसे उपस्थिति देनी है, तो अब वह जानकारी होते ही उपस्थिति दे रही है, जिसे धारा 8 की आपत्तियां पेश करने का अवसर देना न्यायोचित है। उक्त विनिश्चय की जानकारी प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों से प्रार्थी को नहीं हो सकी, जानकारी होते ही नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत कराया, नकल प्राप्त होने तक यानि 25.01.2021 तक की अवधि कानूनन क्षम्य होने से तदुपरांत जानकारी दिनांक से प्रार्थनापत्र अन्दर मयाद प्रस्तुत है। साथ ही देरी माफी हेतु आवेदन अलग से पेश है। अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमा एक तरफा कार्यवाही आदेश दिनांक 15.10.2019 एवं एकतरफा निर्णय दिनांक 15.09.2020 अपास्त फरमा दो-तरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान कर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देने, उसे अपनी मांग के विरूद्ध प्रतिनिधित्व पेश कर समुचित अवसर देकर पुनः विनिश्चय फरमावें।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 06.04.2021 को अप्रार्थी की और से अधिवक्ता

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

एमएल दक हाजिर आये एवं उपस्थिति अंकित कराई गई। दिनांक 13.07.2021 को प्रार्थीया की और से प्रार्थना पत्र बाबत् स्थगन पेश किया गया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 31.08.2021 को विपक्षी की और से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 20.10.2021 को उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर आये एवं बहस पत्रावली का निवेदन किया गया। इस पर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली को उभयपक्ष सुना गया। सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस पत्रावली प्रार्थना पत्र वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि आप न्यायालय में राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट, 1952 के तहत एक आवेदन दिनांक 02.12.2015 को प्रार्थी व एक अन्य वगतपुरी के विरूद्ध वसूली योग्य राशि के संबंध पेश किया जिसमें प्रार्थी के विरूद्ध 12,29,855.56 रुपये वसूली योग्य ठहराये। इसी आशय का आवेदन भी अलग से दिनांक 21.12.2015 को प्रस्तुत होना पत्रावली पर मौजूद है। उक्त आवेदन की प्रति के साथ एक नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (साधारण प्रारूप) प्रार्थी को प्रेषित किया गया परन्तु साथ में कोई अनेक्सचर अथवा 21.12.2015 के आवेदन की प्रति नहीं दी, रिक्विजिशन अन्तर्गत धारा 3 व सर्टिफिकेट फार्म–2 की प्रतियां नहीं दी गई। दिनांक 22.03.2016 को प्रार्थी ने उपस्थिति दी और उसी दिन प्रथम उपस्थिति के समय इस कार्यवाही की पोषणीयता व वैद्यता को चुनौती देते हुए एक आपत्ति प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जवाब व बहस के लिए विपक्षी द्वारा समय लिया जाता रहा परन्तु इसी दौरान दिनांक 08.11.2016 को प्रार्थी के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए, दिनांक 28.03.2018 को एकतरफा कार्यवाही निरस्ती हेतु आवेदन प्रस्तुत हुआ जो उसी दिन स्वीकार किया, तत्पश्चात् दस्तावेजों को रेकार्ड पर लिया, दिनांक 17.07.2018 को प्रार्थी के अधिवक्ता के अनुपस्थिति दर्शायी एवं साथ ही न्यायहित में अंतिम अवसर देते हुए कथित तौर से गुणावगुण पर बहस सुनना भी अंकित कर पोषणीयता पर आरंभिक आपत्तियों को बिना विस्तृत आदेश के सारहीन होने से खारीज करते हुए मुख्य बहस हेतु पत्रावली नियत कर दी। दिनांक 15.10.2019 को पुनः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये व अन्त में दिनांक 15.09.2020 को आलोच्य निर्णय पारित करते हुए प्रार्थी के विरूद्ध वसूली प्रमाण–पत्र जारी किया है। उक्त निर्णय एकतरफा हुआ है परन्तु वास्तव में प्रार्थी जो एक महिला होकर दूरस्थ गांव की निवासी है, उसने अभिषेक गर्ग अधिवक्ता को पैरवी हेतु नियुक्त किया था, लगातार उनसे न सिर्फ प्रार्थी बल्कि उसके उदयपुर के सलाहकार अरूण व्यास भी सम्पर्क में रहे है, फोन पर वे कार्यवाही में लगातार उपस्थित होने को आश्वस्त करते रहे

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

है, कभी न तो प्रारम्भिक आपत्तियां निरस्त होने की सूचना दी, न दूसरी बार एकतरफा कार्यवाही होने की कोई सूचना दी, न अंतिम विनिश्चय हो जाने उपरांत सूचित किया, जिससे वह भरोसे रही, उल्टे प्रार्थी को वसूली कार्यवाही के संबंध में तहसील में पत्र आने पर लोगों द्वारा जानकारी मिलने पर दिनांक 09.11.2020 को उक्त अधिवक्ता को पूछा जिन्होंने कार्यवाही जारी होना, मार्च माह तक उपस्थित होना, तत्पश्चात कोरोना महामारी के कारण सुनवाई ही न होना बताया, जब प्रार्थी ने निर्णय उपरांत प्रमाण–पत्र भी जारी हो जाना कहा तो पता कर बताना व फिर दिनांक 05.01.2021 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो 25.01.2021 को प्राप्त होने पर सूचना मिलते ही प्रार्थी ने जाकर उनसे नकलें ली अध्ययन करने पर उनकी घोर लापरवाही प्रकट हुई। यह न्याय का बुनियादी सिद्धान्त है कि अधिवक्ता की लापरवाही या अक्षमता का खामियाजा पक्षकार को नहीं भुगताया जाये बल्कि उसे सम्पूर्ण न्याय दिया जाये, ऐसी स्थिति में उक्त एक तरफा निर्णय अपास्त योग्य है। प्रार्थी जानबूझ कर अनुपस्थित नहीं रही है बल्कि उक्त परिस्थियों में वह वंचित की गई है, जो नियंत्रण से बाहर की है, ऐसे में एकतरफा कार्यवाही का आदेश दिनांक 15.10.2019 एवं एकतरफा निर्णय दिनांक 15.09.2020 अपास्त फरमा कार्यवाही दोतरफा कराना न्यायोचित है। प्रार्थी ने उक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील वेश की है, जो निर्णय की वैद्यता के आधार पर चुनौती देते हुए है, परन्तु एकतरफा कार्यवाही के संबंध मे प्रार्थी को आदेश 9 नियम 13 जा.दी. के तहत अलग से आवेदन के अधिकार प्राप्त होने से यह प्रार्थनापत्र पेश है। वास्तत में प्रकरण ने पारित अंतिम आदेश कानूनन अंतिम आदेश की परिभाषा में ही नहीं आता है, तो उस आधार पर जारी वसूली आदेश पूर्णतया अवैध है। इस पर विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस पत्रावली में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि आवेदन की प्रति के नोटिस प्रार्थीया को प्रेषित किया एवं साथ में अनेक्सचर के आवेदन की प्रति व रिक्विजिशन अन्तर्गत धारा 3 व प्रमाण पत्र फार्म 2 की प्रतियां प्रेषित की गई। प्रार्थीया द्वारा प्रारम्भिक आपत्तियों का प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा बहस सुनी जाकर आपत्तिया सारहीन होने से खारीज किया जाकर अग्रिम बहस हेतु निर्धारित किया गया। प्रकरण में लगातार रूप से प्राथीया व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 15.10.2019 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये एवं 8 पेशीयों के बाद प्रकरण में बहस सुनी जाकर दिनांक 15.09.2020 को निर्णय पारित किया जो निर्णय हर प्रकार से विधि अनुसार सही है। प्रार्थीया के स्वयं की गलतियों एवं लापरवाही उसके अधिवक्ता के उपर मढने का असफल प्रयास किया है। प्रार्थीया स्वयं एक तरफा कार्यवाही के लिये उत्तरदायी है। प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत नहीं हुआ हैं

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

प्रार्थीया ने गलत कथन किया है। प्रार्थीया स्वयं घोर लापरवाह रही है जिसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी है। अधिवक्ता का कृत्य पक्षकार का कृत्य होता है इस हेतु प्रार्थीया स्वयं उत्तरदायी है। प्रार्थीया ने न्यायालय आप के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है जिस अपील में उक्त सारे एतराज उठाये गये है और अपील राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय में सुनवाई हेतु नियत है जिससे अपील लम्बित होते हुए अलग से प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र में उठाये गये सभी उजरात अपील में प्राथ्रीया की और से उठाये जाकर अपील विचाराधीन है जिससे सभी बिन्दु अपील में विचाराधीन है तो अधीनस्थ न्यायालय में इन आधारों पर निर्णय किया जाना न्याय संगत नहीं है जिससे प्रार्थीया का आवेदन निरस्त योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्दर मयाद होने का कथन किया है वे सभी तथ्य सही नहीं होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया ने न्यायालय में संतोषप्रद एवं सद्भावी कारण प्रकट नहीं है जिससे प्रार्थना पत्र अन्दर मयाद नहीं होने से निरस्त योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया कि उक्त अधिनियम के तहत प्रावधित नोटिस जारी नहीं न हुआ है, पूर्व में जो सामान्य प्रारूप जाहिर करने वजह का नोटिस दिया गया था, उक्त अधिनियम के तहत तो सर्वप्रथम धारा 3 की रिक्वीजीशन यदि हर तरह से पूर्ण, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत हो, तो माननीय जिला कलक्टर इस आशय की अपनी संतुष्टि उपरांत कि मामला इस अधिनियम की परिधि में वसूली योग्य राशि बाबत विपक्षी इस अधिनियम में प्रदत्त श्रेणी में आता हो एवं राशि मयाद बाहर न हो, तब धारा 4 के तहत प्रमाणपत्र जारी कर उसकी प्रति के साथ धारा 6 में प्रावधित एवं नियम तथा परिशिष्ठ में प्रदत्त प्रारूप में विपक्षी को नोटिस प्रदान किया जाता है, उसके बाद ही विपक्षी को अपनी आपत्तियों को पेश करने हेतु आमंत्रित करना होता है। उक्त प्रावधानों के अनुसार तो प्रश्नगत एकतरफा कार्यवाही अभी आरंभिक अवस्था में है, पूर्व के दिये गये नोटिस बिना विधिक प्रावधान के होने से उस आधार पर की गई अग्रिम कार्यवाही ही विधिविरूद्ध है, तो प्रार्थी को एकतरफा कार्यवाही के आधार पर दण्डित नहीं किया जा सकता है। वास्तविक रूप से प्रार्थी को आप न्यायालय द्वारा जारी धारा 4 के प्रमाण–पत्र के साथ जारी धारा 6 के नोटिस उपरांत ही उपस्थिति का अधिकार है, ऐसे में उसके पूर्व हुई प्रिमेच्योर कार्यवाही में पारित एकतरफा आदेश एवं निर्णय ही विधिसम्मत न हो प्रकरण पुनः नम्बर पर ले दो–तरफा सुनवाई हेतु नियत करना न्यायोचित है। वास्तविक रूप से प्रार्थी को धारा 4 की कार्यवाही उपरांत धारा 6 के नोटिस प्राप्त होने उपरांत ही उसे उपस्थिति देनी है, तो अब वह जानकारी होते ही उपस्थिति दे रही है, जिसे धारा 8 की आपत्तियां

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

पेश करने का अवसर देना न्यायोचित है। उक्त विनिश्चय की जानकारी प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों से प्रार्थी को नहीं हो सकी, जानकारी होते ही नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत कराया, नकल प्राप्त होने तक यानि 25.01.2021 तक की अवधि कानूनन क्षम्य होने से तदुपरांत जानकारी दिनांक से प्रार्थनापत्र अन्दर मयाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमा एक तरफा कार्यवाही आदेश दिनांक 15.10.2019 एवं एकतरफा निर्णय दिनांक 15.09.2020 अपास्त फरमा दो–तरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान कर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देने, उसे अपनी मांग के विरूद्ध प्रतिनिधित्व पेश कर समुचित अवसर देकर पुनः विनिश्चय फरमावें। इसी ईल्तजा के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2019 DNJ (SC) 529, AIR 2018 SUPREME COURT 753, AIR Patna (35) 1948 104, 1957 RLW 370, RRD 1959 Page 116, RRD 1969 Page 122, RRD 1972 Page 171, RRD 1977 Page 154, RRD 1973 Page 485, 1970 RLW (RS) 57, एवं AIR 1967 SC 400 पेश किये। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। हमने विधि के प्रावधानों का अवलोकन किया। सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के आदेश 09 के तहत व्यवस्था की गई है कि :–

APPEARANCE OF PARTIES AND CONSEQUENCE OF NON-APPEARANCE

1. **Parties to appear on day fixed in summons for defendant to appear and answer. –**
On the day fixed in the summons for the defendant to appear and answer, the parties shall be in attendance at the Court-house in person or by their respective pleaders, and the suit shall then be heard unless the hearing is adjourned to a future day fixed by the Court.

2. **Dismissal of suit where summons not served in consequence of plaintiffs failure to pay cost. –**
Where on the day so fixed it is found that the summons has not been served upon the defendant in consequence of the failure of the plaintiff to pay the court-fee of postal charges (if any) chargeable for such service, or failure to present copies of the plaint or concise statements, as required by rule 9 of order VII, the Court may make an order that the suit be dismissed :
Provided that no such order shall be made, if, notwithstanding such failure the defendant attends in person (or by agent when he is allowed to appear by agent) on the day fixed for him to appear and answer.

3. **Where neither party appears, suit to be dismissed. –**
Where neither party appears when the suit is called on for hearing, the Court may make an order that the suit be dismissed.

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

4. **Plaintiff may bring fresh suit or Court may restore suit to file. –**
Where a suit is dismissed under rule 2 or rule 3, the plaintiff may (subject to the law of limitation) bring a fresh suit, or he may apply for an order to set the dismissal aside, and if he satisfies the Court that there was sufficient cause for [such failure as is referred to in rule 2], or for his non-appearance, as the case may be, the Court shall make an order setting aside the dismissal and shall appoint a day for proceeding with the suit.

5. **Dismissal of suit where plaintiff after summons returned unserved, fails for [seven days] to apply for fresh summons. –**

1 Where after a summons has been issued to the defendant, or to one of several defendants, and returned unserved the plaintiff fails, for a period of][seven days][from the date of the return made to the Court by the officer ordinarily certifying to the Court returns made by the serving officers, to apply for the issue of a fresh summons the Court shall make an order that the suit be dismissed as against such defendant, unless the plaintiff has within the said period satisfied the Court that-

(a) he has failed after using his best endeavours to discover the residence of the defendant, who has not been served, or

(b) such defendant is avoiding service of process, or

(c) there is any other sufficient cause for extending the time, in which case the Court may extend the time for making such application for such period as it thinks fit.]

2 In such case the plaintiff may (subject to the law of limitation) bring a fresh suit.

6. **Procedure when only plaintiff appears. –**

1 Where the plaintiff appears and the defendant does not appear when the suit is called on for hearing, then-

(a) When summons duly served.-if it is proved that the summons was duly served, the Court may make an order that the suit shall be heard ex parte.

(b) When summons not duly served.-if it is not proved that the summons was duly serve, the Court shall direct a second summons to be issued and served on the defendant;

(c) When summons served but not in due time.-if it is proved that the summons was served on the defendant, but not in sufficient time to enable him to appear and answer on the day fixed in the summons, the Court shall postpone the hearing of the suit to future day to be fixed by the Court, and shall direct notice of such day to be given to the defendant.

2 Where it is owing to the plaintiffs' default that the summons was not duly served or was not served in sufficient time, the Court shall order the plaintiff to pay the costs occasioned by the postponement.

7. **Procedure where defendant appears on day of adjourned hearing and assigns good cause for previous non-appearance. –**
Where the Court has adjourned the hearing of the suit ex-parte and the defendant, at or before such hearing, appears and assigns good cause for his previous non-

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

appearance, he may, upon such terms as the Court directs as to costs or otherwise, be heard in answer to the suit as if he had appeared on the day, fixed for his appearance.

8. **Procedure where defendant only appears. –**
Where the defendant appears and the plaintiff does not appear when the suit is called on for hearing, the Court shall make an order that the suit be dismissed, unless the defendant admits the claim or part thereof, in which case the Court shall pass a decree against the defendant upon such admission, and, where part only of the claim has been admitted, shall dismiss the suit so far as it relates to the remainder.

9. **Decree against plaintiff by default bars fresh suit. –**
1 Where a suit is wholly or partly dismissed under rule 8, the plaintiff shall be precluded from bringing a fresh suit in respect of the same cause of action. But he may apply for an order to set the dismissal aside, and if he satisfies the Court that there was sufficient cause for his non-appearance when the suit was called on for hearing, the Court shall make an order setting aside the dismissal upon such terms as to costs or otherwise as it thinks fit. and shall appoint a day for proceeding with suit.
2 No order shall be made under this rule unless notice of the application has been served on the opposite party.

10. **Procedure in case of non-attendance of one or more of several plaintiffs. –**
Where there are more plaintiffs than one, and one or more of them appear, and the others do not appear, the Court may, at the instance of the plaintiff or plaintiffs appearing, permit the suit to proceed in the same way as if all the plaintiffs had appeared, or make such order as it thinks fit.

11. **Procedure in case of non-attendance of one or more of several defendants. –**
Where there are more defendants than one, and one or more of them appear, and the others do not appear, the suit shall proceed, and the Court shall, at the time of pronouncing judgment, make such order as it thinks fit with respect to the defendants who do not appear.

12. **Consequence of non-attendance, without sufficient cause shown, of party ordered to appear in person. –**
Where a plaintiff or defendant, who has been ordered to appear in person, does not appear in person, or show sufficient cause to the satisfaction of the Court for failing so to appear, he shall be subject to all the provisions of the foregoing rules applicable to plaintiffs and defendants, respectively who do no appear.

13. **Setting aside decree ex parte against defendant. –**
In any case in which a decree is passed ex parte against a defendant, he may apply to the Court by which the decree was passed for an order to set it aside; and if he satisfies the Court that the summons was not duly served, or that he was prevented by any sufficient cause from appearing when the suit was called on for hearing, the Court shall make an order setting aside the decree as against him upon such terms as to costs, payment into Court or otherwise as it thinks fit, and shall appoint a day for proceeding with the suit;
Provided that where the decree is of such a nature that it cannot be set aside as against such defendant only it may be set aside as against all or any of the other defendants also:
Provided further that no Court shall set aside a decree passed ex parte merely on the ground that there has been an irregularity in the service of summons, if it is satisfied

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

that the defendant had notice of the date of hearing and had sufficient time to appear and answer the plaintiff's claim

14. **No decree to be set aside without notice to opposite party. –**
No decree shall be set aside on any such application as aforesaid unless notice thereof has been served on the opposite party.

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आज्ञापक प्रावधानों के आदेश 9 पक्षकारों की उपसंजाति और उनकी अनुपसंजाति के परिणामों के संदर्भ में प्रावधान प्रावधित करता हैं। प्रार्थीया द्वारा आदेश 09 नियम 09 जा0दी0 के तहत प्रस्तुत किया है। आदेश 09 नियम 09 में प्रार्थी के व्यतिक्रम के संबंध में प्रावधान प्रावधित है जबकि प्रार्थीया उक्त प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी रही है। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में न्यायालय आदेश दिनांक 15.10.2019 से प्रार्थीया के विरूद्ध अमल में लाई गई एक तरफा कार्यवाही के संबंध में तथ्य उठाये गये है जिसके प्रावधान आदेश 09 नियम 07 जा0दी0 में प्रावधित है। चूंकि मूल प्रकरण संख्या 070/2015 निर्णय दिनांक 15.09.2020 द्वारा निर्णित किया जा चुका है जिसे प्रार्थीया द्वारा स्वयं प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थीया को आदेश 09 नियम 07 जा0दी0 के तहत इस प्रार्थना पत्र द्वारा किसी भी प्रकार अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मूल तथ्य आदेश 09 नियम 13 जा0दी0 के संबंध में उठाये गये है। आदेश 09 नियम 13 जा0दी0 में अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश के अपास्त किये जाने के प्रावधान प्रावधित कियो गये है। आदेश 09 में 13 जा.दी. में प्रावधित किया गया है कि अप्रार्थी की सम्यक् रूप से तामील नही की गई हो, सुनवाई के लिये पुकार होने पर उपसंजात नहीं होने का पर्याप्त कारण हो जबकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा स्वयं अवगत कराया गया है कि प्रार्थीया की और से उनके अधिवक्ता नियुक्त किये गये एवं प्रार्थीया द्वारा स्वयं अपने प्रार्थना पत्र में अवगत कराया गया कि प्रार्थीया के विरूद्ध दिनांक 08.11.2016 को भी कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई जिसे न्यायालय आदेश दिनांक 28.03.2017 द्वारा प्रार्थीया के आवेदन पर कार्यवाही दौतरफा किये जाने के आदेश पारित किये इसके पश्चात् दिनांक 17.07.2018 को भी प्रार्थीया के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे ऐसी स्थिति में प्रार्थीया में प्रार्थीया की प्रकरण में सुनवाई हेतु लगातार लापरवाही प्रतीत होती है। इसके साथ ही आदेश 09 नियम 13 जा0दी0 के प्रावधित किया गया है कि जहॉ आदेश ऐसी है कि वह केवल ऐसे अप्रार्थी के विरूद्ध अपास्त नहीं की जा सकती है वहॉ वह अन्य सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी या किन्ही के विरूद्ध भी अपास्त की जा सकेगी। हस्तगत मूल प्रकरण संख्या 070/2015 अनवानी प्रधानाचार्य बनाम बगतपुरी वगैराह में प्रार्थीया के साथ अतिरिक्त 1 अन्य पक्षकार संयोजित रहे है एवं न्यायालय निर्णय

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

दिनांक 15.09.2020 द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। एवं मूल प्रकरण के अप्रार्थी संख्या 1 इस प्रकरण में पक्षकार नहीं है। इसके साथ ही प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया स्वयं द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रार्थीया द्वारा निर्णय दिनांक 15.09.2020 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा चुकी है ऐसी स्थिति में प्रार्थीया द्वारा **Proper remedy** (उचित उपाय) हेतु सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर पूर्ण रूपेण चस्पा नहीं होते है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया अपना प्रार्थना पत्र पूर्ण रूप से साबित कराने में असफल रही है, अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 20.10.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़